समक्ष मानूनीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर कैंप सागर

हरचरण आयु पिता श्री नथुवा आदिवासी
निवासी ग्राम-पालीखेडा तह0बीना
जिला-सागर(म0प्र0) ....आवेदक

//बनाम//

म0प्र0शासन
द्वारा-कलेक्टर सागर ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला सागर के प्र0क्र0156बी/121वर्ष2015-16 में दिये गये निर्देश दिनाँक 22.3.2016 में दिये गये निर्देशों से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक की ग्राम पालीखेडा प0ह0नं003 ख0नं0306/1,217/2 रकवा 0.61,0.03हे0 कुल रकवा 0.64हे0 भूमि विधिवत् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरीये क्रय थी जिसका वह भूमिस्वामी है। आवेदक की पत्नि को बीमारी है जिस कारण से आवेदक ने उपरोक्त क्रय भूमि के विक्रय हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनाँक 09.01.2013 को प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार बीना को उपरोक्त प्रकरण जाँच कर प्रतिवेदन भेजे जाने हेतु निर्देशित किया था किंतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अत्याधिक विलंब से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनाँक 08.03.2016 को प्रतिवेदन हेतु प्रकरण भेजा था किंतु प्रकरण में सुनवाई के दौरान पुनः अधीनस्थ न्यायालय ने दिनाँक 22.03.2016को भेज दिया जबकि आवेदक की पत्नि अत्याधिक बीमार है एवं बीमारी के ईलाज हेतु पैसों की आवश्यकता होने से उपरोक्त निगरानी श्रीमान् न्यायालय के समक्ष विधिवत् प्रस्तुत की जा रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R/7.27.-I/16 ..... जिला ... सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-5-16	1— आवेदक की ओर अधिवक्ता दिलीप गोस्वामी उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर सागर के प्रकरण क्रमांक 156/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। जिसमें कलेक्टर द्वारा प्रकरण तहसीलदार के प्रतिवेदन सहित अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से आया था किंतु कलेक्टर द्वारा पुनः तहसीलदार के समक्ष प्रतिवेदन नये सिरे से आदेशित किया है। 2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को ग्राम पालीखेड़ा पटवारी हल्का नंबर 03 खसरा क्रमांक 306/1, 217/2 रकवा 0.61, 0.03 हे0 कुल रकवा 0.64 हे0 की भूमि विक्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था आवेदन दिनांक 09.01.2013 को प्रस्तुत किया था आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय की गई भूमि है पत्नी के इलाज हेतु भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित जांच उपरांत प्रतिवेदन चाहा था जिसमें समुचित जांच किए जाने के उपरांत तहसीलदार द्वारा आवेदक के आवेदन पर भूमि विकय की अनुमति दिए जाने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा उपरांत पुनः प्रकरण तहसीलदार के समक्ष अन्य आधारों पर चाहा गया। जबकि आवेदक की पत्नी अत्यन्त बीमार है इस कारण आवेदक द्वारा चाही गई विकय की अनुमति दिया जाना न्याय संगत बताते हुए निगरानी ग्राह्य किए जाने का अनुरोध किया है। 3— आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से कय की गई भूमि है शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदक को भूमि विकय की अनुमति दिए जाने से इंकार नहीं किया है परंतु 2013 में प्रस्तुत प्रकरण में पुनः प्रतिवेदन चाहा है चूंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष	

R.1727/I/16 सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	शपथपत्र एवं सम्पूर्ण आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। जिसके अवलोकन से यह निर्विवाद है कि भूमि शासन से प्रदत्त पट्टा भूमि नहीं है। न ही आवेदक भूमिहीन हो रहा है जिसके कारण आवेदक को वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की काई वैद्यानिक अड़चन नहीं है। 4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर जिला सागर द्वारा प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम पालीखेड़ा में स्थित खसरा नंबर 306/1, 217/2 रकवा 0.64 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विक्रय–विलेख संपादित होने के दौरान शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विक्रेता को विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं – उपपंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय विलेख संपादित करें। सदस्य	